

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1(133) वन/2022

जयपुर, दिनांक:- 04 NOV 2022

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.175 ha. of forest land for construction of 220 KV S/C, D/C, M/C Transmission Line from SBE Renewables Ten Private Ltd PSS, in village Rivari, Fategarh Jaisalmer to Fatehgarh-II, District- Jaisalmer. (FP/RJ/TRANS/153699/2022).

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3113 दिनांक 15.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में निम्न बिन्दुओं पर टिप्पणी/सूचना भिजवाने का श्रम करावे:-

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1980 एवं नियम, 2003 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के अध्याय 2.8 (III) (e) में यह उल्लेखित है कि CA स्कीम अन्तर्गत वृक्षारोपण कर 10 वर्ष का संधारण समाहित कर योजना प्रस्तावित की जावेगी। जबकि प्रकरण में CA हेतु Estimate में वृक्षारोपण उपरांत 3 वर्ष का संधारण ही लिया गया है।
2. CA Scheme में वृक्षारोपण उपरांत casualty replacement में 10 पौधों (10%) का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित CA Scheme क्षेत्र विशेष (Desert Area) के लिए लागू मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं।
3. CA scheme सदर वन क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो कि नर्सरी क्षेत्र होना प्रतीत होता है। स्पष्ट करावे।

भवदीय,

(सुरेश अग्रवाल)
विशेषाधिकारी